कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर

क्रमांक-अधी.यंत्री/का.सेल/2022-23/ 734 दिनांक 01/02/2023

सार्वजनिक सूचना

(म.प्र.नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (3) के अन्तर्गत)

नगर पालिक निगम जबलपुर के सीमा क्षेत्र में विद्यमान ऐसी अनाधिकृत कालोनियाँ जो दिनांक 31.12.2016 के पूर्व से ही अस्तित्व में है, जो नागरिक अधोसंरचना प्रदान के उददेश्य से चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया नगर निगम द्वारा प्रारंभ की गई है । इस सम्बंध में इस कार्यालय द्वारा निर्दिष्ट तारीख के पूर्व की कॉलानियों की सूची म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (2) के तहत् नगर निगम की बेवसाईट पर उपलब्ध कराने की सूचना दैनिक स्थानीय पत्रिका, हितवाद, नई दुनिया एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 07.10.2022 के समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई है । प्रकाशित सूचना में दर्शाई गई तिथी में किसी प्रकार की दावा आपत्ति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है । अतः पुनः इस प्रक्रिया के तहत् उक्त निर्दिष्ट तारीख अर्थात दिनांक 31.12.2016 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों को नागरिक अधोसंचरना प्रदान करने हेतु चिन्हित करने के लिए नगर निगम द्वारा व्यापक सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है । सर्वेक्षण के दौरान सर्व सम्बंधित जन अनाधिकृत कॉलोनी से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध करा सकते है ।

उक्त अनुक्रूम में एतद् द्वारा म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (3) के प्रावधानों अनुसार सर्व साधारण एवं आम जन को यह भी सूचित किया जाता है, निगम (1) http://nagarnigamjabalpur.org (2) http://jablpur.nic.in में प्रकाशित अनाधिकृत कॉलोनियो की सूची जो निगम द्वारा 07.10.2022 को प्रकाशित है ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियॉ जो दिनांक 31.12.2016 तक अस्तित्व मे आई है, कि पुष्टि हेतु समस्त आवश्यक जानकारी/दस्तावेज नगर निगम मुख्यालय के कार्यालय कक्ष क्रमांक-5 कॉलोनी सेल में 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते है ।

अपर आयुक्त
नगर निगम, जबलपुर

Rajesh/88